UPGK010002352023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–3/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)
गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–146/2023
एस0टी0 सख्या–443/2012
मु0अ0सं0–307ए/2009
धारा–147,504,506,427,395 भा0दं0सं0
थाना–पीपीगंज, जिला– गोरखपुर।
दि0–27.01.2023

प्रार्थी/अभियुक्त रामशब्द द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त एस0टी0 व मु0अ0सं0 में प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र में आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी पैरवी हेतु अपने अधिवक्ता से कहकर रोजी रोजी कमाने बाहर चला गया था। अधिवक्ता महोदय द्वारा पैरवी नहीं की गई, जिससे उसके विरूद्ध दिनांक 01–02–2018 को एन0बी0डब्लू0 का आदेश हो गया। कुछ समय के लिए वह कोरोना महामारी में फंस गया और संक्रमित हो गया, जिससे मुकदमे की जानकारी नहीं कर सका। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, उसने जानबूझकर न्यायालय हाजिर आने में गुरेज नहीं किया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। प्रार्थी पूर्व में जमानत पर था। जमानत पर रिहा होने के बाद हर तरीख पेशी पर हाजिर अदालत आता रहेगा। प्रार्थी मजदूर व्यक्ति है। प्रार्थी अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। कुछ अन्य कथन करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती अधिपत्र के अनुक्रम में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को फ्रेस जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

प्रार्थी/अभियुक्त रामशब्द द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानते एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग कि वह नियत तारीखो पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा और साक्षियो को डरायेगा–धमकाएगा नहीं, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

(सुबोध वार्ष्णेय)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–3/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)
गोरखपुर।
J O No. UP6302

Digitally signed by SUBODH VARSHNEY
Date: 2023.01.27 16:31:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court